

कचरा नियोजन की विधि



1. जैविक कचरा

(प्लास्टिक बैग का प्रयोग ना करें)

रसोई का कचरा

सब्जी / फल के छिलके
पकाया / बचा भोजन
अंडे के छिलके
चिकन / मछली व हड्डियाँ
सड़े फल / सब्जियाँ
भोजन के लिए इस्तेमाल किया
गया टिशू पेपर,
चाय बैग / कॉफी पाउडर
पत्ते की प्लेटें



बगीचे का कचरा *

(केवल कम मात्रा में ही)

गिरे हुए पत्ते/छड़ी
पूजा के फूल/माला,
घास आदि



2. सूखा कचरा

(केवल पुनः उपयोगी बैग का प्रयोग)

प्लास्टिक

(अगर गंदे हो, साफ किया जाना चाहिए)
प्लास्टिक कवर/बोतलें/बक्से/
चिप्स / टॉफी रैपर
प्लास्टिक/कागज कप, प्लेट
दूध/दही पैकेट



कागज

(अगर गंदे हो, साफ किया जाना चाहिए)
अखबार / पत्रिका
स्टेशनरी / जंक मेल
गत्ता डिब्बे / पिज्जा बॉक्स
टेट्रा पैक



धातु

(अगर गंदे हो, साफ किया जाना चाहिए)
पन्नी कंटेनर
धातु के डिब्बे
कांच (देखभाल के साथ)
बिना टूटा हुआ ग्लास जार / बोतलें



अन्य सूखा कचरा

रबड़ / थर्मोकोल
पुराने कपड़े / ब्रश / स्पंज
सौंदर्य प्रसाधन
मिट्टी / लकड़ी के टुकड़े
बाल (बड़ी मात्रा में)
नारियल के गोले (आंतरिक और बाहरी दोनों)



इलेक्ट्रॉनिक कचरा - (सावधानी के साथ अलग से सौंपें)

बैटरियां
सीडी / टेप
थर्मामीटर
बल्ब / ट्यूब लाइट / सीएफएल**



3. बेकार कचरा

(प्लास्टिक बैग का प्रयोग ना करें)

सैनिटरी कचरा

(अखबार में लपेटा जाना चाहिए)
डायपर / सैनिटरी नैपकिन
पट्टियाँ
कंडोम
नाखून
टिशू पेपर - (इस्तेमाल किया हुआ)
समय सीमा समाप्त दवाएं,
झाड़ू की धूल



तेजधार वाले पदार्थ***

(अखबार में पैक करके अलग से सौंपें, केवल कम मात्रा में ही)
रेज़र
प्रयोग में लायी हुई सीरिंज
ब्लेड
इंजेक्शन की बोतलें



निर्माण कार्य का मलबा/

निष्क्रिय पदार्थ****

(अलग से सौंपें)

मलबा
पेंट
नाली की गंदगी
सीमेंट पाउडर/टुकड़े,
फूलदान



टूटे कांच (अखबार में लपेटा जाना चाहिए)

* बड़ी मात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र के बगीचे का कचरा अलग से उठाया जाएगा।

** ट्यूब लाइट और बल्ब सार्वजनिक स्तर पर लेने के लिए अलग से जमा किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक सामान का संग्रह करने के लिए बेसमेंट में अलग से सुविधा प्रदान की जायेगी।

*** नुकीले और निष्क्रिय पदार्थों के संग्रह के लिए बेसमेंट में ही अलग से प्रयोजन किया जाएगा।

**** बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य के मलबे के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।



Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

स्रोत का नियोजन अनिवार्य है।
नियमों की अवमानना दण्डनीय है।



<http://www.2bin1bag.in>

बृहत बंगलुरु महानगर पालिका द्वारा समर्थित एक जनहित पहल